सत्यमेव जयते

पंचम्

झारखण्ड विधान–सभा

पंचदश (बजट) सत्र

अल्प–सूचित प्रश्न

वर्ग–04

11 फाल्गुन 1945 (श0)
शुक्रवार, दिनांक------------------------------को
01 मार्च 2024 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या–01 (एक)

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। - 01

कुल योग–01

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 11 फाल्गुन,1945 (श0) / 01 मार्च, 2024 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"क" 80	अ0सू0–02	श्री विनोद कुमार सिंह	पदाधिकारी पर कार्रवाई करना	अनु0 जा0, अनु0जन0जा0, अल्प0, एवं पि0वर्ग कल्याण	18.02.2024

नोट :– "क" अ0सू0–02, दिनांक–29.02.2024 को सदन द्वारा दिनांक–01.03.2024 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक–01 मार्च, 2024 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0प्रश्न–05/2020–3001/वि0स0,रांची,दिनांक–29/02/24

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

29/02/2024
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0प्रश्न–05/2020–3001/वि0स0,रांची,दिनांक–29/02/24

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय, झारखण्ड विधान सभा, राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

29/02/2024
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0प्रश्न–05/2020–3001/वि0स0,रांची,दिनांक–29/02/24

प्रति :– कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचानार्थ प्रेषित।

29/02/2024
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।
29.02.24

राज/

पदाधिकारी पर कार्रवाई करना

"क" 80 श्री विनोद कुमार सिंह

क्या मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के स्थापना से अबतक सरकारी अनुदान या सहायता नहीं मिलती है, निगम के कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य खर्च का वहन निगम के फिक्स्ड डिपॉजिट से प्राप्त ब्याज से होता है।

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम द्वारा दिसम्बर, 2022 में विभिन्न बैंको के 11 शाखाओं में निगम के 91.80 करोड़ रूपये के फिक्स्ड डिपॉजिट को निकालकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मेन रोड, राँची स्थित शाखा के बचत खाते में डाल दिया गया;

(3) क्या यह बात सही है कि फिक्स्ड डिपॉजिट से सलाना 7% यानी करीब 6.50 करोड़ रूपये मिलते थे जबकि वर्त्तमान में बचत खाते से 3% ब्याज दर प्राप्त हो रहा, जिससे प्रति वर्ष 4.50 करोड़ का नुकसान हो रहा है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वित्तीय नुकसान के जिम्मेवार पदाधिकारी पर कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

प्रभारी मंत्री :–

1. स्वीकारात्मक।

2. स्वीकारात्मक।

3. आंशिक स्वीकारात्मक।

4. झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, राँची झारखण्ड राज्य के आदिवासियों के कल्याणकारी, आय–सृजन, आजीविका संवर्द्धन व विकास कार्यों को कार्यान्वित करने के निहित उद्देश्यों के लिये सृजित है।

   आदिवासी समुदाय के कल्याणकारी योजनाओं को चरितार्थ करने के निहित उद्देश्य को लागू करने के लिये वित्तीय सुप्रबंधन के दृष्टिकोण से Fixed Deposit की राशि को निकालकर बैंक में रखा गया है ताकि कल्याणकारी योजनाओं के लिये वित्तीय सुप्रवाह सुनिश्चित हो सके।

नोट :– "क" 80 दिनांक–29.02.2024 को सदन द्वारा दिनांक–01.03.2024 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक–01 मार्च, 2024 (ई०)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।